केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में सिपाही/सामान्य डयूटी (पुरूष/महिला) भर्ती –2010 के लिए विज्ञापन

1.	केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में सिपाही/सामान्य डयूटी(पुरूष /महिला) के निम्नलिखित पदों को भरने के हेतु पश्चिम बंगाल, उडीसा और सिक्कीम राज्य के रहने वाले पुरूष /महिला भारतीय नागरिकों से राजभाषा हिंदी या अंग्रेजी में आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते है ।	
2.	वेतन	पद के लिए वेतन बैंड–एक में वेतन – रू. 5200-20200. ग्रेड वेतन रू. 2000/-.
3.	अन्य भत्ते	नियमों के अधीन केन्द्र सरकार के कार्मिकों को समय–समय पर ग्राहयतानुसार।
4.	ड्यूटी स्थल	भारत की सीमा के भीतर तथा बाहर कहीं भी।
5.	(i) **राज्यवार जारी/अधिसूचित रिक्तियों का विवरण अधोलिखित है :**	

क. सं.	राज्य	**पुरूष अभ्यर्थी**													**महिला अभ्यर्थी**								
		रिक्तियां									पिछला रिक्ति				रिक्तियां					पिछला रिक्ति			
		सामान्य	भूतपूर्व सैनिक	अन्य पिछडा वर्ग	भूतपूर्व सैनिक	अनुसूचित जाति	भूतपूर्व सैनिक	अनु. जन जाति	भूतपूर्व सैनिक	कुल	अन्य पिछडा वर्ग	अनुसूचित जाति	अनु. जन जाति	कुल	सामान्य	अन्य पिछडा वर्ग	अनुसूचित जाति	अनु. जन जाति	कुल	अन्य पिछडा वर्ग	अनुसूचित जाति	अनु. जन जाति	कुल
1 ए	**उडीसा**	152	17	36	04	49	05	67	07	337	52	39	शून्य	91	02	शून्य	01	01	04	01	03	शून्य	04
2	**सिक्किम**	03	शून्य	01	शून्य	शून्य	शून्य	01	शून्य	05	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
3	**प.बंगाल**	331	37	146	16	152	17	33	04	736	57	40	शून्य	97	05	02	02	शून्य	09	06	06	शून्य	12

(ii) उपरोक्त के अलावा निम्नलिखित नक्सली/उग्रवाद प्रभावित जिलों से उनके सामने दर्शाए गए अनुसार रिक्तियो को भरा जाना है :–

क. सं.	राज्य	नक्सली/उग्रवाद प्रभावित जिलों का विवरण	पुरूष अभ्यर्थी – रिक्तियां									महिला अभ्यर्थी – रिक्तियां				
			सामान्य	भूतपूर्व सैनिक	अन्य पिछडा वर्ग	भूतपूर्व सैनिक	अनुसूचित जाति	भूतपूर्व सैनिक	अनु. जन जाति	भूतपूर्व सैनिक	सामान्य	सामान्य	अन्य पिछडा वर्ग	अनुसूचित जाति	अनु. जन जाति	सामान्य
1	उडीसा	गजपति,गंजम, किओंझर, कोरापुट, मलकानगिरि, मयुरभंज, नवरंगपुर, रायगडा , संबलपुर और सुंदरगढ	245	27	58	07	78	09	107	12	543	03	01	01	02	07
2	सिक्किम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
3	प.बंगाल	बंकुरा,मिदनापुर एवं पुरूलिया	206	23	91	10	95	11	21	02	459	04	01	01	शून्य	06

टिप्पणी .

i) अधिसूचित रिक्तियों का विवरण अधोलिखित है। जिनमें प्रशासनिक कारणों से बिना कोई कारण बताये परिवर्तन हो सकता है।

ii) उपयुक्त भूतपूर्व सैनिकों के उपलब्ध न होने की स्थिति में भूतपूर्व सैनिकों हेतु आवंटित रिक्तियां संबंधित जाति के अभ्यर्थियों से भरी जाएगीं।

6 सभी चयनित अभ्यर्थियों के लिए दिनांक **01/01/2004** से केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए प्रभाव में आई नई अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।

7 चूंकि भूतपूर्व सैनिक प्रशिक्षित सिपाही होते हैं अतः उनके चयन हेतु केवल लिखित परीक्षा,साक्षात्कार तथा चिकित्सा श्रेणी सुनिश्चित करने के लिए चिकित्सा योग्यता परीक्षा आयोजित की जाएगी। सरकारी आदेशानुसार निर्धारित शारीरिक मापदण्ड तथा शिक्षा में पूर्णतया छूट ग्राहय है। ऊपरी आयु सीमा में सैन्य सेवा के साथ तीन(3) वर्ष तक की छूट लागू है तथापि सैन्य सेवा तथा पुनर्नियोजन के मध्य 24 माह से अधिक का सेवा भंग नहीं होना चाहिए। **भूतपूर्व सैनिकों के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी) की आवश्यकता नहीं है।** उनका चरित्र 'अच्छा', शिक्षा सशस्त्र सेना के अनुसार तथा चिकित्सा श्रेणी 'ए–वन' होनी चाहिए।

8.	के0रि0पु0बल में सेवारत कार्मिकों के बच्चे(पुत्र/पुत्री) भी चाहे तो, तदानुसार आवेदन कर सकते हैं। अपने आवेदन पत्र के साथ उन्हें रक्त संबंधी प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा तथा सामान्य अभ्यर्थियों के साथ प्रतिस्पर्द्धा करनी होगी। के0रि0पु0बल में सेवारत कार्मिकों के पुत्र या तो अपने गृह राज्य से आवेदन करें अथवा उस राज्य से जहां उनके पिता/माता तैनात/सेवारत हैं।

9.	पात्रता की शर्ते	
ए)	आयु	01/08/2010 तक आयु 18 से 23 वर्ष तक होनी चाहिए ।
	छूट.	
	अनुसूचित जाति एव अनुसूचित जनजाति के लिए ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष तक तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 3 वर्ष की छूट। एवं इसके अतिरिक्त	
	i) **जम्मू एवं कश्मीर राज्य के निवासियों के लिए आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट**	
	ii) वर्ष 1984 के दंगों में मारे गए लोगों के बच्चों एवं आश्रितों को अधिकतम आयु सीमा में छूट– वर्ष 1984 के दंगों में मारे गए लोगों के बच्चों एवं आश्रितों को अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट देय होगी।	
बी)	**शैक्षणिक योग्यता**	मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविधालय से मैट्रिक परीक्षा अथवा 10वीं कक्षा उत्तीर्ण।
सी)	**शारीरिक मापदण्ड**	
	ऊँचाई	पुरूष अभ्यर्थी हेतु : 170 से0मी0 सामान्य अभ्यर्थियों हेतु बिना छूट। महिला अभ्यर्थी हेतु : 157 से0मी0
	सीना – **केवल पुरूष अभ्यर्थियों हेतु**	बिना फुलाए 80 सेमी तथा फुलाने पर 85 सेमी (कम से कम 05 सेमी का फुलाव आवश्यक है)।
	छूट :	
	गढवाली, कुमाउॅं, गोरखा, डोगरा , मराठा और सिक्कीम, नागालैण्ड, अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिझोरम, मेघालया, असम, हिमाचल प्रदेश कश्मीर और जम्मू एवं कश्मीर का लेह एवं लद्दाख क्षेत्र राज्य के अधीन आनेवाले पुरूष उम्मीदवारों को एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए सीना एवं उॅंचाई में छूट दी जाएगी (इस संदर्भ में सूचना पत्रिका के पैरा 2(चार)(बी)(सी)एवं (डी) के अनुसार)	
	वजन	ऊॅंचाई एवं आयु के अनुपात में चिकित्सीय मापदण्ड के अनुसार

डी)	**चिकित्सा मापदण्ड**
	सूचना पत्रिका के पैरा 2(चार)(ए)एवं (बी) के अनुसार
10.	**चयन प्रकिया**
	आवेदन पत्रों की जांच के उपरांत योग्य उम्मीदवारों को भर्ती परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा। इन पात्र अभ्यर्थियों की सूची आवेदन प्राप्ति केन्द पर भी प्रदर्शित की जाएगी । उम्मीदवारों को निम्नलिखित परीक्षाओं में सम्मिलित होना होगा।
	(1) ऊंचाई परीक्षा
	(2) दौड
	(3) पहचान चैक
	(4) दस्तावेजों की जॉचपडताल
	(5) शारीरिक स्तर परीक्षा
	(6) शारीरिक क्षमता परीक्षा
	(7) लिखित परीक्षा
	(8) चिकित्सा परीक्षण
	टिप्पणी – चयन प्रकिया के बारे में पूर्ण विवरण सूचना पत्रिका के पैरा सं. 3 में देखे ।
11.	इच्छुक उम्मीदवार ओ.एम.आर.आवेदन प्रपत्र में आवेदन कर सकते है जोकि सूचना पत्रिका के साथ निम्नलिखित डाक घरों में दि. 26/07/2010 से 14/8/2010 तक रू. 40/– (रूपये चालिस) मात्र डाक प्रभार के साथ उपलब्ध रहेगा ।

क.स.	राज्य का नाम	डाकघर का नाम जहां पर आवेदन पत्र उपलब्ध है ।
01	उडीसा	अंगुल,,भद्रक, बोलांगिर, बालासोर, बारगढ, बौध, कटक, चांदनी चौक, देवगड, ढेकानाल, अथागड, जगतसिंहपुर, जाजपूर, झारसुगुडा, भवानीपटना, फुलबानी, केन्द्रापारा, खोर्दा, नयागढ, नौपाडा, भुवनेश्वर, पुरी, सोनेपुर, संबलपुर, परालाखेमुंडी, बेहरामपुर, अस्का, भंजा नगर, छत्रपुर, किओंझर गढ, कोरापुट, जेपुर, मलकानगिरी, बरिपडा, रायरंगपुर, नवरंगपुर, रायगडा, सुंदरगढ, राउरकेला एवं उदित नगर ।
02	सिक्किम	गंगटोक
03	पश्चिम बंगाल	असनसोल,, दुर्गापुर, रानीगंज, सुरी, रामपुरहाट, वर्धमान, कटुआ, कुचबिहार, अलीपुरद्वार, दार्जिलिंग, सिलीगुडी, बेलुरघाट, रायगंज, हावडा, चिनसुरा, आरामबाग, जलपाईगुडी, बेहरामपुर, कंडी, रघुनाथगंज, मालदा, बारासात, अलीपुर कृष्णानगर पार्क स्ट्रीट बेलियाघाटा कोलकाता जी पी ओ बिशनपुर बांकुरा पुरूलिया रघुनाथपुर

इसके अतिरिक्त सामान्य/अन्य पिछडे वर्ग के अभ्यर्थीयों के लिए रू. 50/–(रूपये पचास) मात्र आवेदन पत्र की फीस के तौर पर ई–भुगतान के माध्यम से नजदीकी डाकघर जहां पर ई–भुगतान की सुविधा उपलब्ध है, में जमा करना होगा एवं ई–भुगतान की रसीद संख्या ओ.एम.आर. के निर्धारित कॉलम में दर्शाना आवश्यक होगा अन्यथा आवेदन पत्र को निरस्त किया जाएगा । इसके अतिरिक्त सामान्य एवं अन्य पिछडे वर्ग के अभ्यर्थीयों को आवेदन फीस के लिए ई–भुगतान प्रभार को संबंधित डाक विभाग को भुगतान करना होगा । अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं भूतपूर्व सैनिकों के लिए आवेदन पत्र फीस से छूट दी गई है । प्रत्येक ओ.एम.आर. आवेदन पत्र केवल एक बार ही प्रयोग किया जा सकता है । यदि डाकघर से ओ. एम.आर. आवेदन पत्र प्राप्त करने में कोई कठिनाई आ रही हो तो तुरंत पोस्ट मास्टर से संपर्क करें । पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र उनके संबंधित राज्य के लिए अधिसूचित आवेदन पत्र प्राप्ति केन्दों में दिनांक 25/8/2010 तक कार्यालयीन समय तक हाथोहाथ या स्पीडपोस्ट या पंजिकृत डाकद्वारा प्रेशित करना होगा । निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्र एवं अपूर्ण आवेदन पत्रों को किसी प्रकार से स्वीकृत नही किया जाएगा एवं उसे निरस्त किया जाएगा ।

क्रं0सं0	राज्य का नाम	आवेदन पत्र प्राप्ति का स्थान
01	**उडीसा**	**कार्यालय पुलिस उप महानिरीक्षक, ग्रुप केन्द्र, केरिपुबल, पोस्ट ऑफिस – ग्रु.के.,केरिपुबल कैम्पस, भुवनेश्वर (उडीसा), पिन– 751 011**
02	**सिक्किम एवं पश्चिम बंगाल**	**कार्यालय पुलिस उप महानिरीक्षक, ग्रुप केन्द्र, केरिपुबल, पोस्ट ऑफिस – सुश्रुत नगर, सिलीगुडी, जिलाः दार्जिलिंग (पश्चिम बंगाल) पिन 734 012**

12.	**आवेदन पत्र के साथ काई भी दस्तावेज/प्रमाण पत्र /जाति प्रमाण पत्र आदि न भेजे । यदयपि सूचना पत्रिका के पैरा–8(तीन) में दिए गए विवरण के अनुसार मूल दस्तावेजों के साथ सत्यापित प्रमाणपत्र का एक दस्ता एवं सत्यापित छायात्रित्र भर्ती के समय अभ्यर्थी अपने साथ लेकर आएगा ।**
13.	**उडीसा,, सिक्किम एवं पश्चिम बंगाल के निवासी अभ्यर्थी ही केवल अपने अपने राज्य में जायत निवासी प्रमाण पत्र जोकि संबंधित राज्य के प्राधिकृत प्राधिकारी के द्वारा जारी किया हो को प्रस्तुत करने पर भर्ती के लिए योग्य माना जाएगा ।**

14. अभ्यर्थियों की सहायता के लिए निम्नलिखित सहायता टेलीफोन नम्बर और एस.एम.एस. आधारित सेवा वेबसाईट के साथ उपलब्ध कराई गई है । रू.

ए) इंटरएक्टिव वेबसाईट : www.crpf.gov.in - भर्ती - सिपाही/जीडी 2010. अथवा www.crpfrecruitment.org
बी) टेलीफोन नंबर : 0120 3800900
सी) एस.एम.एस.नंबर : CRPF56767

उपरोक्त के अलावा अभ्यर्थी सेक्टर/आवेदन पत्र प्राप्ति केन्द्रों के निम्नलिखित लैंडलाईन/मोबाईल एवं ई–मेल पते पर मार्गदर्शन हेतु संपर्क कर सकते है :–

राज्य	सेक्टर/ए.आर.सी.	लैंडलाईन	मोबाईल	ई–मेल
उडीसा,,सिक्किम एवं पश्चिम बंगाल राज्य	पूर्वी सेक्टर मुख्यालय	033 23211436		eshqs@hotmail.com
	ग्रु.के.,केरिपुबल,भुवनेश्वर (उडीसा)	0674 2558206		gcbbsr@rediffmail.com
	ग्रु.के.,केरिपुबल,सिलीगुडी (पश्चिम बंगाल)	0353 2585407		gcslg@crpf.gov.in

15. **सामान्य अनुदेश**

(1)	नियुक्त होने पर उम्मीदवार के0रि0पु0 बल अधिनियम 1949 व नियमावली 1955 साथ ही साथ इस प्रकार के सरकारी अनुदेश/नियमों के
(2)	शारीरिक दक्षता परीक्षा/यात्रा के दौरानं यदि कोई चोट/क्षति होती है तो उसके लिए सरकार जिम्मेदार नही है ।
(3)	लिखित परीक्षा हेतु उम्मीदवार अपने साथ लेखन सामग्री (निला/काला बॉल पॉइंट पेन एवं क्लिप बोर्ड आदि) लेकर आएगा ।
(4)	उम्मीदवार भर्ती केन्द्र पर परीक्षा के दौरान अपने ठहरने की व्यवस्था स्वयं करेंगे।
(5)	चयन प्रकिया हेतु बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों को नजदीकी भर्ती केन्द्र आवंटित किया जाएगा। जिसके लिए उन्हें कोई यात्रा भत्ता/दैनिक
(6)	सभी योग्य अभ्यर्थियों को भर्ती परीक्षा की तिथि एवं स्थान के बारे में स्पीड पोस्ट/पंजिकृत डाकद्वारा सूचित किया जाएगा ।
(7)	भर्ती के लिए अंतिम चयनित किए गए अभ्यर्थीयों को छाती का एक्स–रे, पैथोलॉजी परीक्षा एवं अन्य आवश्यक परीक्षण करवाना आवश्यक होगा
(8)	अभ्यर्थियों को भर्ती होने के पश्चात केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित बुनियादी प्रशिक्षण में जाना अनिवार्य होगा ।

	(9)	किसी भी मामले में चयन/नियक्ति होने के पश्चात उम्मीदवार का किसी भी कारण से कोई भी तथ्य को छुपाया गया तो संबंधित उम्मीदवार की सेवा को बिना कोई पूर्व सूचना दिए समाप्त किया जाएगा ।
	(10)	भर्ती के समय में किसी भी प्रकार से अनुचित या बाहर से कोई दबाव या अन्य अनुचित प्रकार को अपनाने पर अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा ।
	(11)	लिखित परीक्षा का परिणाम केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की वेबसाईट के साथ साथ भर्ती केन्द्रो के नोटिस बोर्ड पर भी प्रदर्शित किया जाएगा ।
	(12)	भूतपूर्व केरिपुबल के कार्मिकों को भी सामान्य अभ्यर्थियों की तरह ही माना जाएगा और उन्हे भूतपूर्व सैनिकों को मिलने वाली छूट उन्हें नही दी जाएगी ।

हस्ताक्षर दिनांक 16/07/2010
(सैयद मोहम्मद हसनैन)
उपमहानिरीक्षक (प्रशासन)
पू.से.मुख्यालय, केरिपुबल, कोलकाता – 106